भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–56/2022–23

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
12.12.2022	(नीचे देखें)	

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के पत्रांक–**849**, दिनांक–**05.12.2022** द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** ने अपने जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि बिक्रेता **चितरंजन हेम्ब्रोम**, पिता–**स्व0 कानू हेम्ब्रोम**, जाति–**हो (अ०ज०जा०)**, ग्राम–**भालियाकुदर**, **वार्ड नं0–02**, **चक्रधरपुर**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला–**प0 सिंहभूम** ने मौजा–**बांझीकुसुम**, थाना नं0–**87**, खाता नं०–**42**, खेसरा नं०–**45, 362**, रकवा क्रमशः–**0.52.000 ए0, 0.25.000 ए0**, **कुल रकवा–0.77.000 ए0** कृषि भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत क्रेता **पीरू राम दिग्गी**, पिता–**चमरू दिग्गी**, जाति–**हो (अ०ज०जा०)**, ग्राम–**बांझीकुसुम**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला–**प0 सिंहभूम** को बिक्री करना चाहते हैं।

जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली भूमि आवेदक **चितरंजन हेम्ब्रोम**, पिता–**स्व0 कानू हेम्ब्रोम**, जाति–**हो (अ०ज०जा०)**, ग्राम–**भालियाकुदर**, **वार्ड नं0–02**, **चक्रधरपुर**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला–**प0 सिंहभूम** के दखल–कब्जे में है तथा अपने हक की भूमि को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। नोटिस तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।

अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के प्रतिवेदनानुसार बिक्रेता एवं क्रेता, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला–**प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता, जाति–**हो (अ०ज०जा०)** समुदाय के सदस्य हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता के पास कुल रकवा–**01.02.000 ए0** अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर साथ ही आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप बिक्रेता को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त भूमि क्रेता को **8,10,000/–(आठ लाख दस हजार)** रूपये में अथवा राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की **स्वीकृति** दी जाती है।

आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

Digitally signed by REENA HANSDAK
Date: 2023.01.18 16:27:22 +05:30
Location: 10.93.69.131